

16/12/20
जो इस हुक्म में जारी हुआ

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम
जो इस हुक्म की तामील
में जारी हुए

16/12/20

पत्रावली पेश हुई वकील प्राचीया एवं
पैरोकार सरकार उपो। प्रकरण में विपत्ती
की ओर से जवाब पेश हुआ जो शांति
रिपोर्टों पर। प्रकरण में बहस खुली गई।
वैसा में प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवाकम
के आधार पर प्राचीया का प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाता है। राजस्व रिकार्ड
में संशोधन करते हुए प्रश्नगत आराजी
वाके गौजा विनोदा की खाता संख्या
412 की आराजायात में नाराणी देवी
पत्नी मुखेश चाकड़ का नाम विलोपित
कर उसके स्थान पर भालती देवी पत्नी
मुखेश (बगड) चाकड़ साठ मगवान पुत्र
अंकित किया जावे। किसी भी खातेदार
के हक हिस्से प्रभावित नहीं किया जावे।
उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दर्शक
किया जावे। निर्णय से इमलाक्ष सुभाषा
जाकर कम्प्यूटर रजि कर शांति रिपोर्टों
पत्रावली के लिये सुभाषा डीकर नम्बर
कम है।

उपखण्ड अधिकारी
। निम्वाहेड़ा (राज.) ।

